

नगर निगम, वाराणसी

प्रपत्र 'क' (नियम-7 देखिए)
सम्पत्ति कर स्वनिर्धारण प्रपत्र
(अधिनियम की धारा 207-क)

क्रम सं.

क- स्वामी / अध्यासी का विवरण-

- (एक) स्वामी / अध्यासी का नाम
- (दो) स्वामी / अध्यासी के पिता का नाम
- (तीन) भवन / भूखण्ड संख्या
- (चार) भवन/भूखण्ड का अवस्थिति का पता
- (पाँच) स्वामी / अध्यासी का अस्थायी का पता
- (छः) स्वामी / अध्यासी का स्थायी का पता

ख- निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी व्यौरा-

- (एक) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों
- का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
- (दो) समस्त बालकनी, कारीडोर, रसोई और
- भण्डारगृह का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
- (तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)

टिप्पणी : स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

ग- भवन का कारपेट एरिया (वर्ग फुट में) -

$$=[\text{एक}] + 1/2 \times \{\text{दो}\} + 1/4 \times \{\text{तीन}\} \text{ वर्ग फुट}$$

घ- (एक) भूमि का क्षेत्रफल, जिस उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में)

(दो) भूमि का क्षेत्रफल, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में)

ड.- (अ) भवन अवस्थित है -

- (1) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (2) 12 मीटर से 24 चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (3) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ब) भवन के निर्माण की प्रकृति -

- (1) पक्का भवन, आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित
- (2) अन्य पक्का भवन

(3) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और दो में आच्छादित नहीं है।

(स) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है।

- (1) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (2) 12 मीटर से 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (3) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

टिप्पणी- कृपया उपर्युक्त में जो भी सही हो, उसमें सही का निशाल लगायें।

च- भवन स्वामी द्वारा अध्यासित या किराये पर है। कृपया उनमें से एक का उल्लेख करें।

कृ.प.उ.

छ-	भवन के निर्माण का वर्ष	प्रति
ज-	(एक) नगर आयुक्त द्वारा भवन के लिए निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर रुपये	प्रति
	वर्ग फुट	
	(दो) नगर आयुक्त द्वारा भूमि के लिए निर्धारित किराये न्यूनतम मासिक दर, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो तो रुपये	प्रति वर्ग फुट
अ-	या	
ट-	12 X नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर X आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत	
ठ-	(दो) भूमि का वार्षिक मूल्य, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = 12 X नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर X भूमि का क्षेत्रफल = 12X ज(दो) X घ(दो)	
ड-	(एक) स्वामी द्वारा अध्यासित होने की दशा में भवन का मूल्य, धारा 174 (2) (क) में यथा उल्लिखित छूट देने के पश्चात।	
ढ-	(दो) किराये पर होने की दशा में भवन का वार्षिक मूल्य, धारा 174 (2) (ख) में यथा उल्लिखित वृद्धि करने के पश्चात।	
भवन का सामान्य कर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य X सामान्य कर दर / 100		
भूमि पर सामान्य कर, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = झ (दो) में यथा उल्लिखित वार्षिक मूल्य X सामान्य कर दर / 100		
नगर आयुक्त द्वारा कर जमा करने के लिए निर्धारित नियत दिनांक		
जमा किये कर का विवरण :-		

क्र.सं.	कर	राशि	दिनांक	चालान संख्या	बैंक का नाम
1	सामान्य कर				

सत्यापन

मैं.....वार्ड.....के मुहल्ला.....में स्थित भवन सं.....का स्वामी/अध्यासी एतदद्वारा घोषित करता हूँ कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण है। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को न तो छिपाया गया है और नहीं मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

दिनांक

हस्ताक्षर,
ताम

नगर निगम, वाराणसी

प्रपत्र 'ख' (नियम-3 देखिए)

भवन के कारपेट एरिया के या भूमि के क्षेत्र के
सम्बन्ध में सूचना प्रदान करने के लिए

क- स्वामी / अध्यासी का विवरण-

- (एक) स्वामी / अध्यासी का नाम
- (दो) स्वामी / अध्यासी के पिता का नाम
- (तीन) भवन / भूखण्ड संख्या
- (चार) भवन/ भूखण्ड का अवस्थिति का पता
- (पाँच) स्वामी / अध्यासी का अस्थायी का पता
- (छः) स्वामी / अध्यासी का स्थायी का पता

ख- निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी ब्यौरा-

- (एक) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों का आनतरिक आयाम (वर्ग फुट में)
- (दो) समस्त बालकनी, कारीडोर, रसोई और भण्डारगृह का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
- (तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)

टिप्पणी : स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

ग- भवन का कारपेट एरिया (वर्ग फुट में) -

$$= \{ \text{एक} \} + 1/2 \times \{ \text{दो} \} + 1/4 \times \{ \text{तीन} \} \text{ वर्ग फुट}$$

- घ-** (एक) भूमि का क्षेत्रफल, जिस उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में)
- (दो) भूमि का क्षेत्रफल, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में)

ड.- (अ) भवन अवस्थित है -

- (1) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (2) 12 मीटर से 24 चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (3) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ब) भवन के निर्माण की प्रकृति -

- (1) पक्का भवन, आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित
- (2) अन्य पक्का भवन
- (3) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और दो में आच्छादित नहीं है।

(स) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है।

- (1) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (2) 12 मीटर से 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (3) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

टिप्पणी- कृपया उपर्युक्त में जो भी सही हो, उसमें सही का निशान लगायें।

--

च- भवन स्वामी द्वारा अध्यासित या किराये पर है। कृपया उनमें से एक का उल्लेख करें।

छ- भवन के निर्माण का वर्ष
.....

सत्यापन

मैं एतदद्वारा घोषित करता हूँ कि स्वमूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये व्यौरे जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, ठीक और पूर्ण है।

दिनांक :

अनुप्रमाणक साक्षी

हस्ताक्षर

नाम

पिता-माता का नाम

पूरा पता

हस्ताक्षर

नाम

स्थायी पता

.....

वाराणसी नगर निगम



प्रपत्र 'ग' (नियम-3 देखिए)

अनावासिक भवनों के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर स्वनिर्धारण प्रपत्र

1- स्वामी / अध्यासी का विवरण-

- (एक) स्वामी / अध्यासी का नाम
- (दो) स्वामी / अध्यासी के पिता का नाम
- (तीन) भवन / मकान / भूखण्ड संख्या और अवस्थिति का पता
- (चार) स्वामी / अध्यासी के निवास का पता
- (पाँच) अन्य विवरण, यदि कोई हो :

2- भवन या भूमि सम्बन्धी व्यौरा-

- (एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में)
- (दो) खुली भूमि या भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में)
- (तीन) अन्य विवरण, यदि कोई हो

3- अवस्थिति का विवरण-

(क) भवन या भूमि अवस्थित है-

- (एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति-

- (एक) पक्का भवन, आर.सी.सी. छत, या आर.बी. छत सहित
- (दो) अन्य पक्का भवन, अस्वेस्टेज, फाइबर या टीनशेड
- (तीन) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है।

टिप्पणी :- कृपया प्रयोज्य खाने में सही का चिन्ह लगायें।

4- भवन निर्माण का वर्ष -

5- पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष-

6- वार्षिक मूल्य की गणना

(क) भवन का वार्षिक मूल्य

- (एक) नगर आयुक्त द्वारा आवासिक भवन हेतु नियत किराया का मासिक दर
- (दो) नियमावली द्वारा विहित आवासिक भवन की दर के संबंध में गुणक
- (तीन) भवन हेतु प्राप्त किराये का मासिक दर (एकXदो)
- (चार) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल
- (पाँच) भवन का वार्षिक मूल्य=किराये की मासिक दरXआच्छादित क्षेत्रफलX12 { (तीन)X(चार)X(12) }

(ख) भूमि का वार्षिक मूल्य-

(एक) नगर आयुक्त द्वारा आवासिक भूमि हेतु नियंत्रित किराये की मासिक दर

(दो) नियमावली द्वारा विहित आवासिक भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक

(तीन) भूमि (एकXदो) के लिए प्राप्त किराये की मासिक दर

(चार) भूमि का क्षेत्रफल

(पाँच) भूमि का वार्षिक मूल्य=किराये का मासिक दरXआच्छादित क्षेत्रफलX12{(तीन)X(चार)X(12)}

(ग) कुल वार्षिक मूल्य= क (पाँच)+ख (पाँच)

7 - कर की गणना

(1) सामान्य कर-

यथा अवधारित वार्षिक मूल्यXसामान्य कर की दर

100

(2) जल कर-

यथा अवधारित वार्षिक मूल्यXजल कर की दर

100

(3) मल नाली कर-

यथा अवधारित वार्षिक मूल्य मल नालीXकर की दर

100

(4) अन्य कर (कर का नाम)-

यथा अवधारित वार्षिक मूल्यXकर की दर

100

8 - जमा किये गये कर का विवरण-

क्र.सं.	कर का नाम	कर की धनराशि	चालान/प्राप्ति सं.	दिनांक	बैंक/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6

सत्यापन

मैं.....वार्ड.....के मुहल्ला.....में स्थित भवन सं.का स्वामी/अध्यासी एतद्वारा घोषित करता हूँ कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण है। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को न तो छिपाया गया है और नहीं मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

दिनांक

हस्ताक्षर ..
नाम

वाराणसी नगर निगम



प्रपत्र 'घ' (नियम-3 देखिए)

अनावासिक भवनों के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर निर्धारण प्रपत्र

1- स्वामी / अध्यासी का विवरण-

- (एक) स्वामी / अध्यासी का नाम
 (दो) स्वामी / अध्यासी के पिता का नाम
 (तीन) भवन / मकान / भूखण्ड संख्या और अवस्थिति का पता
 (चार) स्वामी / अध्यासी के निवास का पता
 (पाँच) अन्य विवरण, यदि कोई हो :

2- भवन या भूमि का विवरण-

- (एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में)
 (दो) खुली भूमि या भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में)
 (तीन) अन्य विवरण, यदि कोई हो

3- अवस्थिति का विवरण-

- (क) भवन या भूमि अवस्थित है-

- (एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
 (दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
 (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

- (ख) भवन के निर्माण की प्रकृति-

- (एक) पक्का भवन, आर.सी.सी. छत, या आर.बी. छत सहित
 (दो) अन्य पक्का भवन, अस्वेस्टेज, फाइबर या टीनशेड
 (तीन) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है।

टिप्पणी :- कृपया प्रयोज्य खाने में सही का चिन्ह लगायें।

4- भवन निर्माण का वर्ष -

5- पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष-

सत्यापन

मैं.....वार्ड.....के मुहल्ला.....में स्थित भवन सं.का स्वामी/अध्यासी
एतद्वारा घोषित करता हूँ कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण है। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को न तो छिपाया गया है और नहीं मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम